आयुध निर्माणी देहूरोड
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई
भारत सरकार का उद्यम
रक्षा मंत्रालय
पुणे, महाराष्ट्र – 412 101

Ordnance Factory Dehu Road
Unit of Munitions India Ltd.
Govt. of India Enterprises
Ministry of Defence
Pune, Maharashtra – 412 101

दूरभाष संख्या / Phone No. : 020-27167246, 98 फैक्स / Fax : 020-27671616, 3838 ई-मेल / e-mail : ofdrestt@ord.gov.in

कार्यकाल आधार पर डी.बी.डब्ल्यू. की नियुक्ति
पूर्ण विज्ञापन/अधिसूचना
(सं.1914/96/ए.ओ.सी.पी.(50)/चरण -।।/ एच.आर.एम./2026)

अनुबंध के आधार पर कार्यकाल आधारित डी.बी.डब्ल्यू. (**डेंजर बिल्डिंग वर्कर**) कार्मिकों की रिक्तियों को भरने के लिए, आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे (महाराष्ट्र), म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई, भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय में कार्य करने हेतु अटेंडेंट ऑपरेटर-केमिकल प्लांट (एओसीपी) या उससे जुड़े फीडर ट्रेड (जैसे आई.एम.सी.पी., एम.एम.सी.पी., एल.ए.सी.पी., पी.पी.ओ., फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशिनिंग मैकेनिक) ट्रेड के पूर्व-प्रशिक्षुओं से ऑफ़लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो आयुध निर्माणियों के पूर्व प्रशिक्षु रहे हैं अथवा जिन्होंने सरकार से संबद्धता वाले सरकारी/निजी संगठन से अप्रेंटिसशिप किया है। नियुक्ति प्रारंभ में **'एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे आयुध निर्माणी देहू रोड की आवश्यकता और कार्मिक के प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति की तारीख से अधिकतम चार वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभिक अवधि सहित बढ़ाया जा सकता है।**

नोट : ऑफ़लाइन मोड के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. पद का विवरण, मूल वेतन और रिक्तियां निम्ननानुसार हैं:-

पद का नाम	मूलवेतन	कौशल स्तर	कुल रिक्तियां - 14				
			अन्य पिछड़ा वर्ग	एस.सी.	एस.टी.	ईडब्ल्यूएस	# पूर्वसैनिक
कार्यकाल आधारित डी.बी.डब्ल्यू.	रु. 19,900 + डीए	कुशल	03	05	02	04	05

(# - हॉरिजोंटल)

नोट: -

(i) उपरोक्त पद पी.डब्ल्यू.बी.डी. (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति) उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं है। इसलिए पी.डब्ल्यू.बी.डी.श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र नहीं हैं।

(ii) आयुध निर्माणी देहू रोड,पुणे (ओएफडीआर) की आवश्यकता के आधार पर रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

(iii) कार्यकाल की अवधि कार्य ग्रहण की तारीख से अधिकतम चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर बिना किसी नोटिस के स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।

अगले पृष्ठ पर जारी...

(iv) हालाँकि, कार्यकाल की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर अथवा नोटिस के बदले समेकित पारिश्रमिक में मूल वेतन +मंहगाई भत्ता (डी.ए.) का भुगतान कर रोजगार समाप्त किया जा सकता है।

3) **आवश्यक योग्यता:**

आयुध निर्माणियों से या सरकारी आई.टी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संगठनों से एओसीपी ट्रेड या उससे जुड़े फ़ीडर ट्रेड्स (आई.एम.सी.पी., एम.एम.सी.पी., एल.ए.सी.पी., पी.पी.ओ., फ़िटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक) के पूर्व-अप्रेंटिस पर विचार किया जाएगा।

4) **आयु सीमा:**

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन के 21 वें दिन) को 18 से 40 वर्ष के बीच । अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी)- नॉन क्रीमीलेअर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) और पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों को आयु में निम्नानुसार स्वीकार्य छूट दी जाएगी :-

(i)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए	05 वर्ष (केवल एससी / एसटी के लिए आरक्षित पद के संबंध में)
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेअर)	03 वर्ष (केवल ओबीसी के लिए आरक्षित पद के संबंध में)
(iii)	पूर्व सैनिक	मिलिट्री सेवा की अवधि + 03 वर्ष

5) **आवेदन शुल्क:** कोई शुल्क नहीं।

6) **आवेदन कैसे करें:**

अभ्यर्थियों को केवल म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (https://munitionsindia.in/career/) अथवा आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) की वेबसाइट (https://ddpdoo.gov.in) से **"ओ.एफ. देहू रोड (ओ.एफ.डी.आर.) 2026 : एओसीपी या उससे जुड़े फीडर ट्रेड में डी.बी.डब्ल्यू. (एओसीपी ट्रेड) के प्रशिक्षुओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं "** शीर्षक के साथ दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड और प्रिंट करना होगा और इसे केवल बड़े अक्षरों (ब्लॉकलेटर) में भरकर अन्य आवश्यक अनुलग्नकों के साथ,समान फोटो की तीन अतिरिक्त प्रतियां (फोटो के पीछे नाम और जन्मतिथि लिखी गई हो) के साथ निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भेजना होगा :-

सेवा में,
मुख्य महाप्रबंधक,
आयुध निर्माणी देहू रोड,
पुणे- 412 101
फोन नं. : 020-27167246/98 (केवल कार्यालय दिवस/समय पर सक्रिय)

लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"अनुबंध के आधार पर कार्यकाल आधारित डीबीडब्ल्यू (ए.ओ.सी.पी. ट्रेड या फीडर ट्रेड) कार्मिक पद के लिए आवेदन"** लिखा जाना चाहिए।

नोट : अभ्यर्थी को नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा इस संबंध में अन्य अपडेटेड जानकारियों के लिए नियमित रूप से इस वेबसाईट (https://munitionsindia.in/career/) अथवा (https://ddpdoo.gov.in) को चेक करते रहना चाहिए ।

अगले पृष्ठ पर जारी...

7) **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:- रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन तक।**

8) **पारिश्रमिक:**

(i) पारिश्रमिक का भुगतान प्रति दिन 8 घंटे कार्य करने पर संबंधित वेतनामन के मूल वेतन के 1/30 वे हिस्से की दर से महंगाई भत्ते के साथ किया जाएगा। अनधिकृत छुट्टी/ड्यूटी से अनुपस्थिति आदि के लिए आनुपातिक कटौती की जाएगी। नियुक्त कार्मिक नियमित कर्मचारियों के समान कंपनी अवकाश के लिए पात्र होंगे।

(ii) प्रचलित केंद्रीय महंगाई भत्ता (डीए) लागू होगा।

(iii) शहरों के वर्गीकरण के अनुसार मकान किराया भत्ता देय होगा। (कंपनी के क्वार्टर उपलब्ध न होने पर)

नोट :- कंपनी क्वार्टरों की उपलब्धता के मामले में, क्वार्टरों के आबंटन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। क्वार्टर के लाइसेंस शुल्क की कटौती नियमित कामगारों के लिए लागू दरों के अनुसार की जाएगी।

(iv) संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, कार्यकाल के दौरान मूल वेतन पर 3%की (केवल अगले दस रुपये तक पूर्णांकित) वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

(v) निश्चित अवधि के लिए रोजगार पर तैनात व्यक्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। संतोषजनक और उससे ऊपर प्रदर्शन रेटिंग वाले व्यक्तियों को रोजगार के दौरान प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने पर, संबंधित वेतनमान पर लागू वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। खराब या उससे भी नीचे प्रदर्शन रेटिंगवाले व्यक्तियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए लिखित रूप में 3 माह का समय दिया जाएगा। तीन माह के बाद पुन:प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि दोबारा प्रदर्शन रेटिंग खराब या उससे कम पाई जाती है, तो व्यक्ति की सेवाएं 15 दिनों की नोटिस देकर समाप्त कर दी जाएगी।

(vi) नियुक्त कार्मिक ईपीएफ के लिए पात्र होंगे और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कवर किए जाएंगे।

(vii) निश्चित अवधि के आधार पर नियोजित कार्मिक समय-समय पर संशोधित बोनस अधिनियम 1965 के अनुसार बोनस (यदि लागू हो) के लिए पात्र हैं।

9) **कार्य का स्वरूप:-**

(i) सैन्य विस्फोटक और गोला-बारूद का निर्माण, हैंडलिंग और निपटान।

(ii) नियुक्ति के बाद, ए.ओ.सी.पी. और उससे जुड़े फीडर ट्रेड के कर्मचारियों को आयुध निर्माणी देहू रोड द्वारा विस्फोटक, गोलाबारूद के सुरक्षित संचालन, सुरक्षा नियमों, क्या करें और क्या न करें आदि के संबंध में 'एक महीने' का अनिवार्य व्यापक आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को दो महीने कार्यस्थल पर प्रशिक्षण ('ऑन-द-जॉब' प्रशिक्षण) दिया जाएगा, जिसके बाद, इन कार्मिकों को विशिष्ट कार्य पर तैनात करने के लिए विचार किया जाएगा।

10) चयन का तरीका:-

(i) उम्मीदवारों का चयन केवल एन.सी.टी.वी.टी. (एन.ए.सी.) और ट्रेड टेस्ट / प्रैक्टिकल टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट के अनुसार किया जाएगा। ट्रेड टे.स्ट के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए कट ऑफ प्रतिशत आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे (ओएफडीआर) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अगले पृष्ट पर जारी...

(ii) योग्यता क्रमसूची (मेरिट लिस्ट) एनसीटीवीटी (अब एन.सी.वी.टी.) परीक्षा और ट्रेड टेस्ट / प्रैक्टिकल टेस्ट में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

(iii) एन.सी.टी.वी.टी. अब एन.सी.वी.टी. (एन.ए.सी.) परीक्षा और ट्रेड टेस्ट / प्रैक्टिकल टेस्ट में अंकों का वेटेज क्रमशः 80% और 20% होगा।

(iv) एनसीटीवीटी अब एन.सी.वी.टी. (एन.ए.सी.) और ट्रेड टेस्ट / प्रैक्टिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को मेरिट के क्रमानुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित पदों की संख्या (विषय/श्रेणीनुसार) तक सीमित होगी।

(v) अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता, आयु, योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में विज्ञापित मानदंडों को पूरा न करने के कारण दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की अस्वीकृति के मामले में, अतिरिक्त उम्मीदवारों को मेरिट (विषय/श्रेणीनुसार) के क्रम में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए अतिरिक्त उम्मीदवारों की संख्या अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों की संख्या तक सीमित होगी।

11) आवेदन की अस्वीकृति/उम्मीदवारी रद्द करना:-

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या पात्रता मानदंड और विज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं करनेवाले आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया जाएगा।

12) सामान्य शर्तें: -

(i) शैक्षिक योग्यता, आयु के प्रमाण हेतु प्रमाणपत्र, संस्थानों से अनुभव प्रमाणपत्र (यदि कोई हो),जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ ओबीसी उम्मीदवारों के लिए), ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए), भूतपूर्व सैनिक का प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए) आदि की स्वयं सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत पद के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार को आवेदन पत्र के परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित वचनपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(iii) झूठी / गलत / अधूरी जानकारी और / या संदिग्ध / फर्जी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(iv) किसी भी रूप में सिफारिश करवाना अयोग्यता मानी जायेगी।

(v) केवल आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से ट्रेड टेस्ट / प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए ''कॉल लेटर'' जारी करने की गारंटी नहीं देता है।

(vi) केवल लघु सूचीबद्ध (शॉर्ट लिस्ट) उम्मीदवारों को ट्रेडटेस्ट / प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए डाक के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(vii) आयुध निर्माणी देहूरोड, पुणे डाक की देरी या किसी अन्य कारणों से भरे हुए आवेदन/कॉल लेटर आदि देर से प्राप्त होने / न मिलने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(viii) ई-मेल आईडी और फोन / मोबाइल नंबर को पूरी भर्ती प्रक्रिया के समाप्त होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए।

(ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बस / ट्रेन टिकट और जाति / समुदाय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, यात्रा के सब से लघु मार्ग के लिए नियमों के तहत स्वीकार्य द्वितीय श्रेणी के यात्रा भत्ते (टीए) का भुगतान किया जाएगा। यात्रा भत्ते (टीए) के दावे की प्रतिपूर्ति के लिए "बैंक विवरण फॉर्म" जमा करना अनिवार्य है।

अगले पृष्ट पर जारी...

(x) ट्रेड टेस्ट/प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अपने खर्च पर यात्रा करनी होगी और चिकित्सा परीक्षा के लिए एक दिन अतिरिक्त रुकना होगा।

(xi) फोन/ई-मेल/संदेशवाहक के माध्यम से किसी भी पत्राचार, पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

13) अन्य लाभ तथा नियम और शर्तें

(i) चुने गए कर्मचारियों को डी.बी.डब्ल्यू./सी.पी.डब्ल्यू. के तौर पर काम पर रखा जाएगा और उम्मीदवारों को इसके लिए सहमति/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।

(ii) कार्यकाल आधारित कर्मियों का कार्य स्वरूप (पैटर्न) नियोक्ता का विशेषाधिकार होगा।

(iii) नियुक्त कार्मिक प्रति वर्ष 30 दिन की छुट्टी के हकदार होंगे। सेवा के प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन की छुट्टी जमा की जाएगी। कार्मिक द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान 30 दिन तक छुट्टी जमा की जा सकती है और एक वर्ष पूरा होने पर इसका नकदीकरण किया जा सकता है। कार्यकाल के पृथक्करण/समापन से पहले सेवा के अंतिम महीने के लिए, सेवा के अंतिम माह से संबंधित 2.5 दिन की छुट्टी उस महीने के 15 वें दिन जमा की जाएगी।

नोट:- कार्यकाल आधारित कार्मिकों के संबंध में छुट्टी का नकदीकरण नियमित कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और निबंधन और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) नियुक्त कार्मिक एक महीने में 5 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकते हैं और चिकित्सा आधार को छोड़कर लगातार 3 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं। विशेष परिस्थिति में नियोक्ता, कार्मिक को एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन तक की छुट्टी दे सकता है बशर्ते कार्मिक के खाते में छुट्टी शेष हो।

(v) कार्यकाल के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक पूरे महीने के लिए 01 दिन की आकस्मिक छुट्टी (आ.छु.) मिलेगी। इसके अलावा, 01 से 15 तारीख के बीच जॉइन करने वाले कर्मचारियों को उस महीने के लिए 01 दिन की आकस्मिक छुट्टी भी दी जाएगी।

(vi) कार्यकाल आधारित कर्मी किसी भी आयुध निर्माणी अस्पताल और औषधालय या अन्य जगहों पर किसी भी अन्य चिकित्सा लाभ के हकदार नहीं होंगे। आपात स्थिति में आयुध निर्माणी अस्पतालों/औषधालयों में सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है|

(vii) कार्यकाल आधारित कार्मिक कंपनी के मानदंडों के अनुसार संरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों, उपकरण, किट आदि के लिए पात्र होंगे।

(viii) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मी मातृत्व लाभ की हकदार होंगी।

(ix) कार्यकाल आधारित कार्मिक की नियुक्ति प्रारंभ में **एक वर्ष** की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगी, जिसे निर्माणी की आवश्यकता और व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति की तारीख (प्रारंभिक अवधि सहित) से अधिकतम **चार वर्ष** की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(x) कार्यकाल आधारित नियुक्ति से कर्मचारी को कंपनी के नियमित कर्मचारी के दर्जे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

(xi) कार्यकाल आधारित कार्मिक, सौंपे गए कार्यों और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले कंपनी/फैक्टरी के विभिन्न नियमों और विनियमों,जैसे स्थायी आदेशों आदि का पालन करेंगे।

(xii) कार्यकाल आधारित कार्मिक लागू नियमों के अनुसार आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर आदि के अंतर्गत कवर किए जाएंगे और ऐसे सभी कर उनके द्वारा देय होंगे।

अगले पृष्ट पर जारी...

(xiii) कार्यकाल आधारित कार्मिक जहां भी उपलब्ध हो, कंपनी क्वार्टरों के लिए पात्र होंगे। परंतु वे निम्नलिखित के हकदार नहीं होंगे:-

क. पदोन्नति
ख. समयोपरी कार्य भत्ता (ओटी)
ग. ऋण, अग्रिम और ब्याज सब्सिडी
घ. चिकित्सा सुविधाएं
ङ. आकस्मिक अग्रिम
च. स्कूल शुल्क प्रतिपूर्ति
छ. एलटीसी/एलटीए सुविधाएं
ज. अध्ययन अवकाश स्वीकृति
झ. उच्च अध्ययन के लिए प्रायोजकता
ञ. नियमित कर्मचारी को मिलने वाले अन्य लाभ जिनका विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

(xiv) कार्यकाल आधारित कर्मचारियों को केवल उत्पादन कार्य की अत्यावश्यकता होने पर ही रात पाली में तैनात किया जाएगा, न की नियमित रूप से। ये कर्मचारी मौजूदा नियमों के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समान ही रात पाली भत्ता पाने के लिए पात्र होंगे।

(xv) कार्यकाल आधारित कर्मचारियों को इसी तरह के काम के लिए जोखिम भत्ता पाने का अधिकार होगा और उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार नियमित कर्मचारियों के बराबर जोखिम भत्ता दिया जाएगा।

(xvi) कार्यकाल आधारित कार्मिक इस योजना में बताए गए भत्तों के अलावा किसी अन्य भत्ते या लाभ के हकदार नहीं होंगे।

(xvii) कार्मिक के प्रदर्शन का मूल्यांकन **अर्ध-वार्षिक आधार** पर किया जाएगा।

(xviii) नियुक्ति पूर्ण कालिक आधार पर होगी। अधिकृत छुट्टी/कंपनी अवकाश के अलावा ड्यूटी से अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप समेकित परिलब्धियों (कुल मेहनताना) में आनुपातिक कमी होगी। ऐसे कार्मिक नियमित कर्मचारियों के लिए लागू कंपनी की छुट्टियों के लिए पात्र होंगे।

(xix) किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के समेकित पारिश्रमिक के बदले में मूल वेतन + डीए घटकों का भुगतान कर, कार्यकाल की अवधि के दौरान किसी भी समय रोजगार समाप्त किया जा सकता है।

14) सभी उम्मीदवारों के लिए सावधानी:

कुछ अनैतिक तत्व अवैध परितुष्टि के माध्यम से निर्माणी/कंपनी में आपको नियुक्ति दिलाने का आश्वासन देकर आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इस तरह के झूठे आश्वासन या शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी भी हालत में ऐसे तत्वों की ओर ध्यान या प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है और पुन: आश्वासन दिया जाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर ही की जाएगी।

15) उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी:

उपर्युक्त रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदित पद के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

16) उम्मीदवार के लिए अन्य जानकारी:

(i) चयन प्रक्रिया की सभी स्थितियों में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह से अनंतिम (प्रोविजनल) होगा।

(ii) ट्रेड टेस्ट के लिए उम्मीदवार को केवल कॉल लेटर/प्रवेश पत्र जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उसका/उसकी उम्मीदवारी आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे द्वारा अंततः स्वीकार कर ली गई है।

अगले पृष्ट पर जारी...

(iii) मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन निर्माणी में दस्तावेज़ सत्यापन के समय ही किया जाएगा।

17) अंकों की बराबरी की स्थिति (टाई) का समाधान:

अंकों की बराबरी की स्थिति (टाई) के मामलों का समाधान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) एन.सी.टी.वी.टी. (अब एन.सी.वी.टी.) में प्राप्त उच्च अंक।

(ii) आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे के पूर्व-ट्रेड प्रशिक्षु को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद अन्य आयुध निर्माणियों के प्रशिक्षुओं को।

(iii) यह भर्ती प्रक्रिया डी.बी.डब्ल्यू. पद के लिए है और इसके तहत डी.बी.डब्ल्यू (ए.ओ.सी.पी.ट्रेड) और अन्य फीडर ट्रेड के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगर उम्मीदवारों के बीच टाई (समान अंक) की स्थिति बनती है, तो आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे या किसी अन्य भारतीय आयुध निर्माणियों के ए.ओ.सी.पी. ट्रेड वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद, आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे या किसी अन्य भारतीय आयुध निर्माणियों के अन्य फीडर ट्रेड वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। शेष उम्मीदवारों को उनकी जन्म तिथि के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी (अर्थात् अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।)

18) उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र/कॉल लेटर डाक और ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे।

19) इस विज्ञापन के विरूद्ध कार्यकाल आधारित डी.बी.डब्ल्यू. (कुशल) के संबंध में कोई भी विवाद केवल पुणे में स्थित न्यायालय के अधीन होगा।

20) सक्षम प्राधिकारी आकस्मिकता के मामले में आंशिक या पूर्ण रूप से चयन के किसी भी वैकल्पिक वैध तरीके को अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

21) भारत के नागरिक जो विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता पूरी कर रहे हैं, वे पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

22) इस विज्ञापन की हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की विवादास्पद स्थिति के मामले में, अंग्रेजी भाषा के विज्ञापन को वैध माना जाएगा।

नोट: आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे के पास इस विज्ञापन के विषय में जब भी आवश्यकता हो,संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है और वह शुद्धिपत्र जारी कर सकती है अर्थात् नियम और विनियम आदि के संबंध में जो केवल म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अथवा आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) की वेबसाइट (अर्थात् https://munitionsindia.in/career अथवा https://ddpdoo.gov.in) पर ही प्रकाशित किया जाएगा न कि रोजगार समाचार पत्र या अन्य समाचार पत्रों में । उम्मीदवारों से निवेदन है कि वे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड अथवा आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) की वेब साइट को बार-बार देखें ।

हस्ताक्षरित/-
(अमित कुमार मीणा)
अपर महाप्रबंधक/एम.एम.
कृते मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध के आधार पर कार्यकाल आधारित डी.बी.डब्ल्यू.कार्मिक के लिए आवेदन
(सं.1914/96/ए.ओ.सी.पी.(50)/चरण -।।/ एच.आर.एम./2026)

आवदेक के नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के लिए जगह (स्वयं साक्ष्यांकित) अच्छी तरह से चिपकाया जाए (स्टेपल न किया जाए)

सेवा में,
मुख्य महाप्रबंधक,
आयुध निर्माणी देहू रोड,
पुणे - 412101

(केवल बड़े (ब्लॉक) अक्षरों में भरा जाना है।)

1	आवेदित पद	अनुबंध के आधार पर कार्यकाल आधारित डी.बी. डब्ल्यु. कार्मिक
2	नाम (जैसा कि 10 वीं कक्षा के प्रमाणपत्र मेंउल्लेख किया गया है।)	
3	लिंग	
4	पिता/पति का नाम	
5	शादी के बाद का नाम (महिला अभ्यर्थियों के लिए)	
6	जन्म-तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)	
7	आयु (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को)	
8	राष्ट्रीयता	
9	जाति/वर्ग [उल्लेख करें कि क्या अनारक्षित / एससी / एसटी / ओबीसी-एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / पूर्व सैनिक हैं]	
10	यदि पूर्व सैनिक हैं तो सेवा का पूर्ण विवरण दें	
11	पत्रव्यवहार के लिए पूर्ण पता और पिन कोड	
12	फोन / मोबाइल नंबर	
13	ई-मेल आई.डी (सुस्पष्ट अक्षरों में) अनिवार्य रूप से देना है	
14	दो प्रमुख और दिखाई देने वाले पहचान चिह्न	i) ii)

15. दसवीं/एस.एस.सी. से शुरू होने वाली शैक्षिक और अन्य योग्यता का विवरण:-

स्कूल/कॉलेज का नाम	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / परीक्षा बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अधिकतम अंक	कुल प्राप्त अंक	प्रतिशत

16. ए.ओ.सी.पी. या फीडर ट्रेड में एन.सी.टी.वी.टी. (एन.ए.सी) परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी विवरण

ट्रेड का नाम	क्या आयुध निर्माणियों के पूर्व-प्रशिक्षु हैं (हाँ/नहीं)	आयुध निर्माणी का नाम	प्रशिक्षण अवधि		अधिकतम अंक	कुल प्राप्त अंक	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रमाणपत्र संख्या एवं जारी करने की तिथि	प्रतिशत
			से	तक					

16.1 ए.ओ.सी.पी. या फीडर ट्रेड परीक्षा में (आयुध निर्माणी देहू रोड के अलावा) एन.सी.टी.वी.टी. (एन.ए.सी.) उत्तीर्ण करने संबंधी विवरण

ट्रेड का नाम	संस्थान/संगठन का नाम	प्रशिक्षण अवधि		अधिकतम अंक	कुल प्राप्त अंक	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रमाणपत्र संख्या एवं जारी करने की तिथि	प्रतिशत
		से	तक					

17. अनुभव का विवरण:

कंपनी का विवरण	पद	अवधि से	तक की अवधि	ड्यूटी का स्वरूप

18. अनुलग्नों की जाँच सूची:

क्र.सं.	अनुलग्नक	हाँ/नहीं
1	जन्मतिथि का प्रमाण	
2	शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र	
3	ए.ओ.सी.पी. अथवा फीडर ट्रेड में एन.सी.टी.वी.टी. अब एन.सी.वी.टी. (एन.ए.सी.) प्रमाणपत्र	
4	अनुभव प्रमाणपत्र यदि कोई हो	
5	जाति / वर्ग प्रमाणपत्र (एस.सी./ एस.टी./ओ.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस./पूर्व-सैनिक) – आरक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में	
6	ओ.बी.सी./पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों द्वारा घोषणा – परिशिष्ट – I / परिशिष्ट – II	
7	टीए का दावा करने के लिए पूर्ण बैंक विवरण (जैसा की रद्द चेक / पासबूक की प्रति) (एस.सी./ एस.टी.उम्मीदवारों के लिए)	
8	क्या उपरोक्त सभी दस्तावेज/प्रमाणपत्र स्वयं प्रमाणित हैं	
9	स्वयं सत्यापित फोटो की दो प्रतियां (एक आवेदन पत्र पर चिपकाया गया और एक अतिरिक्त)	

घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ ने इस आवेदन को भेजने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। मैं जानता/जानती हूँ कि जानकारी में पाई गई कोई भी विसंगति के कारण किसी भी समय मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है/मुझे निकाला जा सकता है।

दिनांक : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान :

परिशिष्ट – I

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों द्वारा घोषणा

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाणपत्र में समान पृष्ठांकन दिया जाना चाहिए)

मैं.....श्री.....का/की पुत्र/पुत्री.....गाँव/नगर/शहर.....जिला.....राज्य .....का/की निवासी, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं..... समुदाय से हूँ जिसे डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) दिनांक 08-09-1993 और यथा संशोधित में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं दिनांक 08-09-1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और यथा संशोधित की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

दिनांक : (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट – II

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत सिविल पदों के लिए आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले वचनबंध का प्रपत्र

मैं जानता हूँ कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मेरा चयन किया जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से रिलीज/सेवानिवृत्त/सेवा मुक्त किया गया है और मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन: रोजगार) नियम 1979 के तहत पूर्व सैनिकों के लिए मिलने वाले लाभों का हकदार हूँ।

मैं यह भी जानता हूँ कि मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले, किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल पक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

दिनांक: (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)